न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 155/2019

जीसीएमएस– 2019/00344

दायर दिनांक–18.11.2019

निर्णय दिनांक– 23.02.2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्री रामखिलाडी पुत्र हटीला जाति जाट निवासी सोमली तहसील हिण्डौन जिला करौली		1. श्री भगवानसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाट निवासी सोमली तह. हिण्डौन 2. श्रीमती सीमा पत्नि भगवानसिंह जाति जाट निवासी सोमली तह0 हिण्डौन जिला करौली

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1. श्री अशोक नीमनका,अधीवक्ता प्रार्थी।

2 श्री रमाकांत शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय   दिनांक :– 23.02.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थना–पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थी ने अदालत हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। प्रार्थना–पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.43 है0, 108 रकबा 0.41 है0, 144 रकबा 0.42 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन प्रार्थी की सहखातेदारी की एवं बाहमी बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में आई आराजी है। जिनसे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:20 IST
Reason: SelfAttested

23.2.24

प्रार्थना–पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 78 को गांव की बोल चाल में ढाई बीघा के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रार्थी की पाटौर बनी हुई है, बोर लगा हुआ है। पाटोर में प्रार्थी के खाने के बर्तन, बिस्तर खाट पीढी आदि रखे हुए थे, जिन्हें अप्रार्थी सं01 ने प्रार्थी के पीछे से कुए में डाल दिया एवं पाटोर का ताला तोड दिया एवं अब अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी के खेत में जबरन मकान बनाने पर आमादा हैं। बाका दिनांक 14.10.2019 को अप्रार्थीगण ने यह धमकी दी है कि इस खेत पर हम जबरन कब्जा करेंगे और इसमें मकान बनायेंगे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को समझाने का भरसक प्रयास किया कि ओमवीर ने घर पर भी ताला तुम्हारे छोटे भाई ओमवीर ने लगा रखा है और तुम खेतों पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है फिर मेरे खाने कमाने की सारी व्यवस्था ही समाप्त हो जावेगी। तुम दोनों ही भाई मुझे खाने तक को रोटी नहीं देते हो। ऐसी परिस्थितियों में मैं भूखा मर जाऊँगा। लेकिन वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है इसलिए दावा व सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि अगर अप्रार्थीगण अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना सम्भव नहीं हो सकेगी, जबकि अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना–पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.43 है0, 108 रकबा 0.41 है0, 444 रकबा 0.42 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन [illegible] बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें। कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करें। [illegible] निर्माण कार्य नहीं करें। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा

23.2.24

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र के मद नं01 में सायल द्वारा कतई गलत एवं झूंठा दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध करना स्वीकार है, लेकिन उसमें प्रार्थी को सफलता का कोई चान्स नहीं है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद न 02 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। उपरोक्त वर्णित मद नं02 पुश्तैनी जमीन है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं03 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी का कोई सामान नहीं रखा है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं04 गलत है और अस्वीकार है। अप्रार्थीगण का कोई गैरकानूनी मंसूबा नहीं है। प्रार्थी को कोई अपूर्तनीय क्षति नहीं है। अप्रार्थीगण को कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र का मद नं05 गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, बल्कि अप्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र में चाही गई रिलीफ से इंकारी है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाही रिलीफ प्रार्थी प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थी ने कतई गलत तथ्यों के आधार पर अपना दावा व प्रार्थना–पत्र पेश कर दिये हैं जो कि खारिज किये जाने योग्य हैं।

23.2.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:20 IST
Reason: SelfAttested

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि सायल न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्डस से नहीं आया है, इस कारण प्रार्थी कोई रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि सायल व गैरसायल सं01 पिता–पुत्र है तथा अप्रार्थी सं02 प्रार्थी की पुत्रवधु है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात पुश्तैनी है। प्रार्थी ने दिनांक 08.07.2014 को जरिये इकरारनामा 1/2, 1/2 भाग 31 x 100 फिट का प्लाट दोनों भाईयों को दे दिया और अपना एक हक त्याग दिया। बाखल से प्लाट दे दी एवं दिनांक 01.10.2018 को भी स्टाम्प पर अप्रार्थी सं01 भगवानसिंह के हक में लिखावट है। भगवानसिंह का कोई दोष नहीं है। विवादित आराजीयात कोटीनेन्सी की भूमि है, सभी सहखातेदारों को मूल दावा में पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ पाने का हकदार नहीं है। मूल दावा में मिस जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्स आरिज है।

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प कीमती 100/–रूपया पर लिखावट इकरारनामा दिनांक 08.07.2014, फोटो प्रति नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प कीमती 20/–रूपया पर लिखावट दिनांक 01.10.2018, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2012, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 किता 3 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:20 IST
Reason: SelfAttested

23.2.24

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.43 है0, 108 रकबा 0.41 है0, 444 रकबा 0.42 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन की खातेदारी उगन्ती पुत्री हटीला हि0 1/24, किरण पुत्री हटीला हि0 1/24, घसीडा पुत्र हटीला हि0 7/24, प्रेमवती पुत्री हटीला हि0 1/24, मोहन पुत्र हटीला हि0 7/24, रामखिलाडी पुत्र हटीला हि0 7/24, जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प कीमती 100/–रूपया पर लिखावट इकरारनामा दिनांक 08.07.2014 के अनुसार रामखिलाडी पुत्र हटीला जाति जाट निवासी सोमली तहसील हिण्डौन प्रथम पक्ष के द्वारा भगवानसिंह ओमवीर पिसरान रामखिलाडी जाति जाट निवासी सोमली तहसील हिण्डौन द्वितीयपक्ष के हक में लिखा गया है कि ग्राम सोमली में स्थित आराजीयात में से मैंने अपनी सहमति से अपने दोनों पुत्रों को (द्वितीयपक्षगण) अपने हिस्से में से 1/2, 1/2 हिस्सा दे दिया है एवं मौके पर कब्जा संभला दिया है। अब उक्त आराजीयात् को बेचान या ट्रांसफर करने का कोई अधिकार मुझ प्रथम पक्ष को नहीं होगा। द्वितीय पक्षगण प्रथम पक्ष के जीतेजी प्रथमपक्ष से मिली आराजीयात को बेचान या गिरबी नहीं रख सकेगा। मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी रिहायशी बाखल में से भी 1/2 1/2 हिस्सा दे दिया है। प्रथम पक्ष ने अपनी पुरानी रिहायश के बदले बडे पुत्र भगवानसिंह को गांव में आबादी के लंगवा मुख्य आम रास्ते के सहारे वाले खेत में एक प्लाट 31 x 100 फिट नाप का अलग से दे दिया है। यह इकरारनामा दिनांक 08.07.2014 को प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्षगण के हक में अपनी स्वंय की सहमति से बिना किसी दबाब के बिना नशे पते के लिखा है जो सनद रहें और वक्त जरूरत काम आवे। उक्त लिखावट पर प्रार्थी रामखिलाडी व उसके दोनों पुत्र भगवानसिंह व ओमवीर तथा गवाहान मानसिंह पुत्र हटीला जाट निवासी सोमली तथा मनोज पुत्र रूपसिंह निवासी सोमली के हस्ताक्षर हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:20 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

23.2.24

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा
80	1 बीघा 15 बिस्वा	78	0.43 है0
74	1 बीघा 9 बिस्वा	108	0.41 है0
280 मिन	—	444	0.42 है0

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 74 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन की खातेदारी दौजी पुत्र देवचन्द जाति जाट हि0 08 आना, बृजपाल पुत्र बल्देव मांगी पुत्र आरामी हि0 04 आना, हटीला पुत्र नारायणसिंह हिस्सा 04 आना जाति जाट निवासी ग्राम की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 80 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 280 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन की खातेदारी हटीला पुत्र नारायणसिंह जाति जाट निवासी ग्राम की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.43 है0, 108 रकबा 0.41 है0, 444 रकबा 0.42 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं01 को अपने पूर्वज हटीला पुत्र नारायणसिंह जाति जाट निवासी सोमली से विरासत में प्राप्त हुई है तथा विरासत की सम्पत्ति पर पुत्र का भी हक बराबर का होता है। प्रार्थी ने अपने जीते जी उक्त विवादित आराजीयात् का अपने दोनों पुत्र रामखिलाडी व ओमवीर में बहिस्सा बराबर 1/2,1/2 बांटकर कब्जा संभला दिया है। जो उक्त इकरानामा के अवलोकन से साबित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं01 पिता–पुत्र हैं तथा अप्रार्थी सं02 प्रार्थी की पुत्रबधु है। उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी साबित नहीं होता है और प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी पक्ष में साबित होता है तथा अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी साबित नहीं होता है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:20 IST
Reason: Self Attested

23.2.24

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.43 है0, 108 रकबा 0.41 है0, 444 रकबा 0.42 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम सोमली तहसील सूरौठ स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 0.43 है0, 108 रकबा 0.41 है0, 444 रकबा 0.42 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम सोमली तहसील सूरौठ के बाबत् दिनांक 18.11.2019 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विदड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.2.24

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.03.21 11:39:20 IST
Reason: SelfAttested